

No. - 27(3)

Date 14.7.2020

प्रारूप - 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Dehra Dun (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Dehra Dun district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss I.A.S deputy commissioner on dated at time at in which application claiming rights in Reserve forest area measuring 0.067 hect for the construction of Reserve forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chakrata sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place Dehra Dun

Dated

Deputy Commissioner cum-chairman
 District Level Committee

जिलाधिकारी
 देहरादून


कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून


पत्रांक:- 27(4)


दिनांक:- 6.7.20

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 6.7.20 को जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 224/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत भटाड़ पेयजल योजना का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 0.067 हैक्टेयर भूमि वन विभाग से उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति-कालसी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी- कालसी/चकराता की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.067 हैक्टेयर भूमि जो कि वन विभाग के बाहर रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समन्वयक
देहरादून


प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग,
देहरादून।


जिलाधिकारी, देहरादून।
जिलाधिकारी
देहरादून